



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 432) पटना, मंगलवार 5 मई 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
4 मई 2026

अधिसूचना संख्या-01/2026-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 110, दिनांक 5 मई 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-09/2025-राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर 2025, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1513, दिनांक 17 सितंबर 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची I — 2.5% में, —

- क्रम संख्या 150 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 21, 2202 99 29” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- क्रम संख्या 151 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 31, 2202 99 39” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III — 20% में, —

- क्रम संख्या 2 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 90, 2202 99 91, 2202 99 99” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “2202 99 91, 2202 99 99” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2026 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(सं0 सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-22) 01)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 मई 2026

एस० ओ० 110, दिनांक 5 मई 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-22) 01)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 4th May 2026

Notification No. 01/2026- State Tax (Rate)

S.O. .110, Dated 5th May 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 09/2025- State Tax (Rate) dated 17th September, 2025, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 1513 dated 17th September, 2025, namely—

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%,

(i) against S. No. 150, for the entry in column (2), the entry “2202 99 21, 2202 99 29” shall be substituted;

(ii) against S. No. 151, for the entry in column (2), the entry “2202 99 31, 2202 99 39” shall be substituted;

(b) In Schedule III – 20%,

(i) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry “2202 99 90, 2202 99 91, 2202 99 99” shall be substituted;

(ii) against S. No. 3, for the entry in column (2), the entry “2202 99 91, 2202 99 99” shall be substituted.

2. This notification shall deemed to come into force from the 1st May, 2026.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-22) 01)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 432-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>